

नगर निगम, जयपुर

एम्पावर्ड कमेटी प्रशासन शहरों के संग 2012 कार्यवाही विवरण
 आज दिनांक 22.3.13 को 4:00 बजे प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के अंतर्गत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। जिसमें




निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल
2. श्री जगरूप सिंह यादव
3. श्री सतीश कुमार शर्मा
4. श्री आर. के. पालीवाल

महापौर
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 वरिष्ठ नगर नियोजक प्रभार अति0 मुख्य नगर नियोजक
 मुख्य अभियन्ता

अध्यक्ष।
 सदस्य सचिव।
 सदस्य।
 सदस्य।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भू. सं./योजना का नाम	प्रकरण का प्रकार		प्रकरण पर समिति द्वारा लिया गया निर्णय
			(उपविभाजन/पुर्नगठन/आवासीय निर्माण स्वीकृति/अन्य)	व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति/अन्य)	
1.	मैसर्स जयपुर कन्स्ट्रक्शन द्वारा जयपुर श्री महेन्द्र जीत सिंह चढढा	1-बी व 132, विजय नगर व विजय नगर "ए" करतारपुरा जयपुर	पुर्नगठन स्वीकृति बावत् (आवासीय)		<ol style="list-style-type: none"> 1. एजण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार पुर्नगठन मानचित्र अनुमोदित किया जाता है। 2. सडक को 30'-0" किये जाने हेतु आवेदक से 1'-3" X 52'-0" भूमि निशुल्क समर्पित कराई जाये। 3. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् पुर्नगठन मानचित्र जारी किये जायें।
2	श्रीमती नीलिमा सुनील माखरिया एवं श्री भालचन्द्र सिंह चौधरी	38, केशव नगर, सिविल लार्डन, जयपुर	उपविभाजन/पुर्नगठन एवं आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।		<ol style="list-style-type: none"> 1. एजण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण स्वीकृत किया जाता है। 2. आवेदक द्वारा अग्र सार्ड्ड व पीछे के सैट बैंक में जो विना स्वीकृति के निर्माण व वार्डलेशन किया हुआ है उसे नियमबद्ध करते हुए नियमानुसार नियमबद्ध राशि लेते हुए बेसमेन्ट के क्षेत्र को नियमबद्ध किया जाता है। 3. मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा सडक को 30'-0" किये जाने हेतु 5'-0" X 60'-0" भूमि मौके पर छोड़ी हुई है। अतः समर्पित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। 4. प्रकरण में नाम हस्तान्तरण के दौरान उपविभाजन/पुर्नगठन शुल्क राजस्व शाखा द्वारा लिया जा चुका है अतः पुर्नगठन/उपविभाजन मानते हुए प्रकरण में शेष रही राशि बी.एस.यू.पी. शेल्डर फण्ड की आवेदक से ली जायें। 5. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. होने के कारण नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जायें। 6. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें।

SWAR




3	श्री बजरंग लाल	21, बरबाडा हाउस, अजमेर रोड, जयपुर	स्वतंत्र आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति हेतु।	आवेदक द्वारा कार्यालय को वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।
4	श्री महारथी सिंह भाटी	उममेद भवन, एम.आई. रोड, जयपुर	आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।	आवेदक द्वारा कार्यालय को वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं करने के कारण व आवेदन शुल्क पूर्ण जमा नहीं कराने के कारण निरस्त किया जाता है।
5	श्री परमानन्द अग्रवाल	9, बिचून का बाग	उपविभाजन स्वीकृति बावत्	आवेदक द्वारा कार्यालय को वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।
6	श्री तरुण वंसल व अन्य	जी-15, कृष्णा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	स्वतंत्र आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार स्वतंत्र आवासीय भवन निर्माण (सी+एस+जी+3 तल) 14.91 मीटर उँचाई का अनुमोदन किया जाता है। 2. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. होने पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जाये। 3. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में रखा जाये कि साईड 30'-0" रोड की चौड़ाई मौके पर विषयान्तर्गत भूखण्ड से आगे कितनी है।
7	1. श्री सतवीर सिंह (दक्षिणी भाग) 2. श्री विश्वनारायण (उत्तरी भाग)	ग्राम हीरापुरा अजमेर रोड जयपुर	सैट बैंक निर्धारण हेतु।	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार व वर्णित संशोधन के साथ बहुमंजिला आवासीय प्लैट्स (एल.बी.+यू.बी.+स्ट्रिक्ट-11 मंजिल) 40.00 मीटर उँचाई के मानचित्र अनुमोदित किये जाते हैं। 2. आवेदक द्वारा उपयोग में लिये गये एफ.ए.आर. का 3 प्रतिशत क्षेत्र स्ट्रिक्ट पर दुकानें प्रस्तावित किये गये हैं जिसका नियमानुसार रूपान्तरण शुल्क लिया जाकर अनुमोदित किया जाता है। 3. मास्टर प्लान 2025 के अनुसार सड़क को 120'-0" चौड़ा किये जाने हेतु आवेदक से आवश्यक भूमि समर्पित कराई जायें। 4. भवन की उँचाई 30.00 मीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें। 5. भवन की उँचाई 15.00 मीटर से अधिक होने के कारण फायर अनापत्ति प्राप्त की जायें। 6. नागरिक उड्डयन विभाग की अपानत्ति प्राप्त होने के बाद मानचित्र जारी किये जायें। 7. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. होने के कारण नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जायें। 8. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात्, फायर की अनापत्ति, राज्य सरकार से स्वीकृति तथा नागरिक उड्डयन विभाग की अनापत्ति, भूमि समर्पण के बाद बहुमंजिला आवासीय भवन मानचित्र जारी किये जायें।
8	श्री शशिकान्ता शर्मा	ओ-13, सी-स्कीम, जयपुर	बहुमंजिला आवासीय निर्माण स्वीकृति बावत्।	

with






4-1



9	मैसर्स मैंगो पीपल होम्स एलएलपी जरिये श्री संजय झंगा प्रतिनिधि	4, सरदार पटेल मार्ग, चौमू हाउस, सी-स्कीम, जयपुर	आवासीय (बहुमंजिला फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।	<ol style="list-style-type: none"> 1. एजेण्डा में वर्णित संशोधन के साथ आवासीय बहुमंजिले फ्लैट्स (एल.डी.न्यू.बी.जी+16 मंजिल) 60.00 मीटर उंचाई के मानचित्र अनुमोदित किये जाते हैं। 2. आवेदक द्वारा प्रस्तावित तीन पोर्च के स्थान पर नियमानुसार दो पोर्च ही स्वीकृत किये जाते हैं व प्रत्येक पोर्च का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर से अधिक नहीं रखा जाये। 3. बॉलकॉनी के आगे प्रस्तावित छज्जेनुमा आर.के.टेकवरल फीचर को अनुमोदित किया जाता है व इस बावत् आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किया जाए कि वह इसे किसी अन्य उपयोग में नहीं लेगा। 4. भवन की उंचाई 30.00 मीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें। 5. सडकी की चौड़ाई को 60.00 मीटर (200 फीट) किये जाने हेतु आवेदक से आवश्यक भूमि समर्पित कराई जाये। 6. भवन की उंचाई 15.00 मीटर से अधिक होने के कारण फायर अनापत्ति प्राप्त की जाये। 7. नागरिक उद्घटन विभाग की अपानति प्राप्त होने के बाद मानचित्र जारी किये जायें। 8. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. होने के कारण नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जाये। 9. प्रस्तावित भवन में निर्मित क्षेत्रफल 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक होने के कारण एन्वायरमेन्ट विभाग से आवेदन द्वारा अनापत्ति प्राप्त की जाये। 10. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात्, फायर की अनापत्ति, राज्य सरकार से स्वीकृति तथा नागरिक उद्घटन विभाग की अनापत्ति, एन्वायरमेन्ट विभाग की अनापत्ति, भूमि समर्पण के बाद बहुमंजिला आवासीय भवन मानचित्र जारी किये जाये।
10	मैसर्स गीता कन्स्ट्रक्शन	अनुमोदित उपविभाजन पाट ए भूखण्ड खसरा नं. 64, ग्राम सुदर्शनपुरा बाईस गोदाम, जयपुर	बहुमंजिली आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।	प्रकरण पर समिति द्वारा विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया। <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक द्वारा बिना स्वीकृति प्राप्त किये मौके पर जो निर्माण कर रखा है उसकी नियमानुसार शास्त्री लेकर नियमबद्ध योग्य क्षेत्र को अतिरिक्त अनियमबद्ध क्षेत्र को मौके से हटाने के पश्चात् ही नियमबद्ध मानचित्र जारी किये जायें। 2. फायर स्टेयर केस के सामने साईड में वीम आंशिक कवर (1.6 उंचाई में) के निर्माण को भवन की संरचनात्मक स्ट्रेविलिटी आवश्यकता को देखते हुए यदि अग्निशमन अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है तो नियमबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया। 3. भवन मानचित्र समिति की पूर्व बैठक दिनांक 03/03/2008 में स्वीकृत

Uw No


				<p>24.00 मीटर उँचाई (एस+7 तल) के अतिरिक्त प्रस्तावित बेसमेंट+8 व 9 तल व विभिन्न तलों पर प्रस्तावित संशोधन (कुल उँचाई 29.63 मीटर स्ट्रिक्ट सहित) के अनुमोदन बावत हेतु राज्य सरकार से मुख्यपट्ट की विशेष स्थिति को (स्पेशल लोकेशन) व रेलवे और ब्रिज (ROW) की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित 29.63 मीटर उँचाई को स्वीकृत किया जाए या नहीं।</p> <p>4. आवेदक द्वारा उपयोग में लिये गये एफ.ए.आर. (निर्मित भवन) का 3 प्रतिशत क्षेत्र स्ट्रिक्ट पर दुकानें अनुमोदित की जाती है। जिसका नियमानुसार रूपान्तरण शुल्क लिया जाकर अनुमोदित किया जाता है।</p> <p>5. भवन की उँचाई 15.00 मीटर से अधिक होने के कारण फायर की अनापत्ति प्राप्त की जाये।</p> <p>6. भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 22.02.2012 में लिए गये शीतिगत निर्णय अनुसार नागरिक उड्डयन विभाग की अनापत्ति लिया जाना आवश्यक नहीं है। प्रकरण में यदि कोई न्यायिक विवाद चल रहा है तो आवेदक को उसे बापस लेने की शर्त के साथ ही मानचित्र अनुमोदित किये जाते हैं व न्यायिक विवाद को बापस लेने के पश्चात् ही मानचित्र जारी किये जायें।</p> <p>7. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात्, फायर की अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात्, मानचित्र जारी किये जाते हैं।</p>
--	--	--	--	---

Usha
अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य साचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
वरिष्ठ नगर नियोजक
प्रभार अति० मु० नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

क्रमांक :- एक 13 () व. न. नियो./जननि./2019/626

दिनांक- 8/1/23

प्रतिनिधि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।

1. निजी सहायक, मा. महापौर महोदय, नगर निगम, जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
3. अति० मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर।
5. संबंधित आयुक्त, जोन, नगर निगम, जयपुर।
6. गार्ड फाईल।

सदस्य साचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम, जयपुर